



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 18/2021/परीक्षा/दिनांक 27/12/2021

प्रकाशन की तिथि: 29/12/2021

:: विज्ञापन ::

प्राचार्य वर्ग-1

एवं

प्राचार्य वर्ग-2/प्लेसमेंट अधिकारी/सहायक संचालक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28/12/2021 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 26/01/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/12/2021 को मध्याह्न 12:00 बजे से 26/01/2022 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 27/01/2022 अपराह्न 12:00 बजे से 31/01/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 01/02/2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से 05/02/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु.100/- (रुपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत प्राचार्य वर्ग-1 एवं प्राचार्य वर्ग-2/प्लेसमेंट अधिकारी/सहायक संचालक (तकनीकी) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

| क्र. | पद तथा विभाग का नाम | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद | | | | योग | वेतनमान | |
|------|--|---------------------------------|-------|---------|---------|--|-------|---------|---------|-------------------------------|---------|------------------------|
| | | अना. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | अना. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.पि.व. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | प्राचार्य वर्ग-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 |
| 2 | प्राचार्य वर्ग-2/प्लेसमेंट अधिकारी/सहायक संचालक (तकनीकी) | 16 | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 02 (OA, OL) 02 (OA, OL) UR | 38 | वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 |
| | बैकलॉग/कैरीफारवर्ड | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | योग | 18 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 | | |

Abbreviations used:- OA- One Arm, OL- One Leg

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है।
- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन ही मान्य होंगे।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

5. रिक्तियों में आरक्षण :-

- उपरोक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।
 - छत्तीसगढ़ राज्य के उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
6. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो' एवं ऑनलाइन

क्रमशः

आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।

7. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) (क) पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:-

- (i) पद का नाम :- प्राचार्य वर्ग-एक
(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-प्रथम श्रेणी
(iii) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13
(i) अनिवार्य

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(ii) अनुभव

केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का अनुभव, उपाधि धारक के लिये 02 वर्ष एवं डिप्लोमा धारक के लिये 07 वर्ष।

(iii) अधिमान

अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। (किन्हीं अभ्यर्थियों में अन्य बातें यथा मेरिट आदि समान होने पर केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन के अलावा अन्य कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी की तुलना में वरीयता दी जाएगी।)

(ख) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:-

- (i) पद का नाम :- प्राचार्य वर्ग-दो/प्लेसमेंट अधिकारी /सहायक संचालक (तकनीकी)
(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
(iii) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
(i) अनिवार्य

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मण्डल से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(ii) अनुभव

डिप्लोमा धारक के लिये 5 वर्ष का केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्य करने/अध्यापन का अनुभव।

(iii) अधिमान

अध्यापन का अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा। (किन्हीं अभ्यर्थियों में अन्य बातें यथा मेरिट आदि समान होने पर केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन के अलावा अन्य कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी की तुलना में वरीयता दी जाएगी।)

(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:-"छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु

सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- (ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (iii) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2021 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त

रोगरेटर/वर्ष की अंकसूची।

- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(ii), 4(iii), 4(iv), एवं 4(vi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4(xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के

क्रमशः

लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
- परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
- (9) अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (10) चयन प्रक्रिया :- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-
- (i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-'एक' एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-'दो' में दिया गया है।
- (iii) परीक्षा हेतु रायपुर, दुर्ग-भिलाई एवं बिलासपुर परीक्षा केन्द्र होंगे।
- (11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।
- (ii) एक से अधिक पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- (12) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त

होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं शूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

- (i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 100/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग/उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी ली जाएगी।
- (ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
- (iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
- (v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(13) परीक्षा के संबंध में :- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर को रजिस्टर्ड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा।

- (ii) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 14(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पृथक-पृथक पदों हेतु निर्धारित शुल्क पृथक-पृथक देय होंगे।

(17) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के

द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
अटल नगर, नवा रायपुर

**परिशिष्ट-एक,
"परीक्षा योजना"**

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | |
|-------------|---|---------|
| परीक्षा | — | 300 अंक |
| साक्षात्कार | — | 30 अंक |
| कुल | — | 330 अंक |
- (2) परीक्षा:-
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|---------|
| प्रश्नों की संख्या | 150 | 3:00 घंटे | अंक 300 |
| भाग 1 - छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान | — | 50 प्रश्न (100 अंक) | |
| भाग 2 - इंजीनियरिंग | — | 100 प्रश्न (200 अंक) | |
| कुल | — | 150 प्रश्न (300 अंक) | |
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: -
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः
- निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (6) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।
- (7) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।
- (8) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□□□

परिशिष्ट-दो,
'पाठ्यक्रम'

| | |
|--|---|
| <p>भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। 2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाये। 3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। 4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज एवं त्यौहार। 5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। 6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। 7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। 8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं। <p>Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle. 2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions. 3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh. 4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh. 5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh. 6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj. 7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh. 8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh. | <ol style="list-style-type: none"> 10. डिसपरसन रेंज क्वार्टाइल का माप, स्टैन्डर्ड डेविएशन रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन, <p>(A) APPLIED MATHEMATICS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concept and principles of determinants. Properties of determinants Computation of Mean and R.M.S. Value General equation of second degree, Nature of roots, Formation of Equation Class-I, II, III, IV 2. Half angles, Double Angles, Triple angles General solution of Trigonometrically equation 3. Locus standard forms. General equation of a straight line and its rotation to the structural forms, Straight line through one and two point Transformation of coordinates when the origin is shifted or the axes are rotated 4. Definition, Standard forms, General equation, Center and radius. Parabola Ellipse 5. Independent and dependent variables, different type of functions, Concept of limit and its valuation 6. Differentiation by first principle of Algebra, Trigonometrical, Exponential and Logarithmic functions. Differentiation of sum, Product and quotient of two functions and functions of a function 7. Concept of Vector and Scalar Quantities Understand the Principle of addition, subtraction of Vector Component of Vector, Standard unit Vectors i, j, k 8. Scalar product and its applications, Vector products and application 9. Introduction, Graphical representation, Histogram, France polygon, Frequency, Curve, Central Tendency Mean, Median, Mode 10. Measure of dispersion Range Quartile deviation Standard, Deviation Root Mean square deviation <p>(B) APPLIED PHYSICS</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. मौलिक ईकाइयां, व्युत्पन्न ईकाइयां ईकाई प्रणाली, एसआई ईकाई, उनकी उपयोगिता और अंकन बेस, एसआई यूनिट, प्रणाली और संकेताक्षर, वर्नियर केलिपर्स का सिद्धान्त, स्क्रू गेज और स्पिडो मीटर का सिद्धान्त, अदिश और सदिश राशियाँ सदिश का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के प्रकार, वेक्टर का योग एवं घटा, वेक्टर राशि स्केलर राशि से गुणन, वेक्टर का लिनियर कम्बिनेशन, वेक्टर रिजोल्यूशन, पोजीशन वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट 12. गति का वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के गतियों का विशिष्टताएँ, गति का न्यूटन का नियम, कन्जरवेटिव और नॉनकन्जरवेटिव बल, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, त्वरण गति का समीकरण, मास की धारणा, वेट और वेटलेसनेस, घर्षण, सीमान्त घर्षण, घर्षण कोण और गुणांक, स्थिर और गतिशील घर्षण, घर्षण एक आवश्यकता, और एक बुराई, सरकुलर मोशन, पार्टिकल का मोशन, वृत्त में निश्चित गति के साथ, संबंधित भौतिक मात्रा रैकी और कोणीय वेग के बीच में सम्बन्ध, सेन्ट्रिपिटल और सेन्ट्रिप्यूगल बल, रोड के बैंकिंग और साईकिल रोटेट्री मोशन, एक्सिस ऑफ मोशन, मूवमेन्ट ऑफ इनसिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन का गतिज ऊर्जा के समीकरण की व्युत्पत्ति, घूमती हुई कायनेटिक एनर्जी, टार्क कोणीय त्वरण के बीच टार्क, न्यूटन के गुरुत्व के नियम, प्रकृति में बुनियादी बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र "g" & "G" के बीच में संबंध, स्केप वैलोसिटी ऐसे घटक जो स्केपवैलोसिटी g केपलर का ग्रहों के गति का नियम उपग्रह, उपग्रह का समयावधि, सरल पेन्डुलम 13. इलारिस्टिसिटी की अवधारणा, डिफारमेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन इनके प्रकार, और ईकाई हुक का नियम, इलास्टिक यूनिट इलास्टिक कटिंग मॉडलस, आफ इलास्टिक यंग मॉडलस, सर्ल की विधि द्वारा ज्ञात करना आणविक |
| <p>भाग-2 ENGINEERING</p> <p>(A) APPLIED MATHEMATICS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. डिटरमैन्ट्स की संकल्पना और सिद्धान्त डिटरमैन्ट्स संगणना के गुण मीन और आरएमएस वेल्थू जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का नेचर ऑफ रूट, वर्ग I, II, III, IV, के वर्गीकरण का गठन 2. हांफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल का जनरल सोल्यूशन त्रिकोणमिति समीकरण 3. काटीशियन और ध्रुवीय निर्देशांक, दो बिन्दुओं के बीच की दूरी, किसी रेखा के डिवीजन सेंगमेंट लोकस स्टैंडर्ड फार्म, सीधी रेखा का जनरल समीकरण और उसकी रोटेशन, संरचनात्मक रूप, दो बिन्दुओं के बीच-सीधी रेखा, निर्देशांक का ट्रान्सफार्मेशन जब मूल बिन्दु किसी अक्ष पर स्थानान्तरित या रोटेट हो। 4. परिभाषा- मानक फार्म जनरल समीकरण, केन्द्र और त्रिज्या परवलय, दीर्घवृत्त। 5. स्वतंत्र और आश्रित वेरियेबल, फंक्शन के विभिन्न प्रकार, लिमिट के कांसेप्ट और उनके मूल्यांकन 6. पहला सिद्धान्त से डिफरेंशियेशन बीज गणित, त्रिकोणमिति, घातीय और लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशियेशन का योग, प्रोडक्ट और कोशेंट दो फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन 7. सदिश और अदिश राशियों की संकल्पना, इनकी जोड़ घटाओं की सिद्धान्त को समझना, कम्पोनेंट ऑफ वेक्टर स्टैंडर्ड यूनिट, वेक्टर आईजेके 8. स्केलर प्रोडक्ट और उनके अनुप्रयोग, वेक्टर प्रोडक्ट और उनके अनुप्रयोग 9. परिचय- ग्राफिकल प्रतिनिधित्व हिस्टो ग्राम, फ्रांस पॉलीगॉन, फिक्वेन्शि व वक सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मीन, मेडियन, मोड | |

क्रमशः

बल कोहेसिव और ऐडेसिव बल, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा वर्षा जल के बूंद का गोल होने का कारण स्पर्श कोण दबाव, तरल सतह का आंतरिक दबाव का अंतर तरल बूंद एवं सोप बबल, का आंतरिक दबाव, कैपिलरी ट्यूब के अंदर तरल सतह की आकृति कैपिलरी ट्यूब के अंदर तरल सतह का उठाव, कैपिलरी राईस विधि द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, कैपिलरी एक्शन में तापमान का प्रभाव, सर्पेश तनाव का उदाहरण, बिस्कोसिटी की अवधारणा, स्ट्रीम लाईन, और टर्बोलेंस प्लो रेनाल्ड नंबर पाईनूलीएक्वीशन, ट्यूब के अंदर तरल के दबाव के लिए स्ट्रॉक्स नियम और टर्मिनल वेलोसिटी फॉलिंग स्पेयर विधि द्वारा "n" का मान ज्ञात करना।

14. पेरीयोडिक मोशन हेतु आवश्यक स्थिति एवं ऐपियरेंस पेरीयोडिक मोशन का वर्गीकरण कारण आधारित बलों के आधार पर आवधिक गति की उपस्थिति एवं अनुसरण के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक स्रोत पर अभिनय बलों पर आधारित आवधिक गति वर्गीकरण, साधारण से साधारण हार्मोनिक, विशेषताओं होने की गति के लिए शर्त, हार्मोनिक गति, सरल हार्मोनिक प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए एक कण की ऊर्जा, प्रकार, एक विमान प्रगतिशील लहर कण वेग और लहर की लहर गति, समीकारण की वेग, अल्ट्रासोनिक तरंगों, अल्ट्रासोनिक तरंगों के उत्पादन, अल्ट्रासोनिक लहरो के अनुप्रयोग।
15. प्रतिरोध थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर के सिद्धान्त, वापस देखें, प्रभाव और शीतलक थर्मामीटर, Thermocouple उलटा का तापमान और तटस्थ तापमान, थर्मस ई.एम.एफ संबंधित हैं तापमान के साथ, ऑप्टिकल पाइरोमीटर, तुलनात्मक रेंज और ऊपर थर्मामीटर की सटीकता के लिए अध्ययन, द्वारा लगाए एक आदर्श गैस, गैसों की गतिज सिद्धान्त postulates, दबाव की अवधारणाओं, एक आदर्श गैस (सूत्र का कोई व्युत्पत्ति) काइनेटिक तापमान की व्याख्या और शून्य निरपेक्ष, गैस लॉ की कटौती
16. ऊष्मा गति की पहला नियम गर्मी की यांत्रिक बराबर, गैसों की विशिष्ट गर्मी, रिलेशन $C_p - C_v = R/J$ इजोटेर्मल और एडियाबैटिक परिवर्तन, अव्यक्त गर्मी की अवधारणा, बर्फ और पानी के वाष्पीकरण के विलय समान और गोलीय सतह पर प्रतिबिम्ब का नियम, वक्रता केन्द्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या, प्रिन्सिपल अक्ष सिद्धान्त अक्ष, प्रमुख फोकस और फोकल लम्बाई, इंजीनियरिंग, परावर्तन के नियमों के अनुप्रयोग, एक समान सतह पर अपवर्तन, अपवर्तन, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तन के नियम, सूचकांक, महत्वपूर्ण कोण और लेंस के माध्यम से प्रकाश, अपवर्तन की कुल आंतरिक प्रतिबिम्ब (कोई 10 सूत्र की व्युत्पत्ति), लेंस और लेंस की शक्ति की प्रशंसा संयोजन, चरम, न्यूनतम विचलन का कोण और उनके संबंध, फैलाव के माध्यम से अपवर्तन और फैलानेवाला बिजली, शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम और उसके दिखाई रेंज
18. साधारण माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरबीन, स्थलीय दूरबीन, बहुरूपदर्शक, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम का नियम बिजली के क्षेत्र और संभावित, पोटेंशियल डिफेंस, दो अंक के बीच, Equipotential सतहों, ढांकता हुआ ताकत, क्षमता, इकाइयों, संधारित्र के सिद्धान्त, Capacitors की क्षमता प्रकार प्रभावित करने वाले कारक
19. बल की चुंबकीय रेखाओं, प्रेरण की लाइनों, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, एक मौजूदा ले कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और वर्तमान की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक परिपत्र पाश के लिए, Biot Savarts नियम के क्षेत्र की वजह से एक लंबे रैखिक कंडक्टर, एक चुंबकीय क्षेत्र में वर्तमान Carrying कंडक्टर द्वारा अनुभवी बल, इकाई चालू की परिभाषा, दो लंबे समानांतर कंडक्टर के बीच बल, चुंबकीय सामग्री, आणविक सिद्धान्त और चुंबकत्व, डि. परा और Ferromagnetic पदार्थों, ज्वलंत "दाहिने हाथ और बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल" एस स्क्रू नियम, Hysteris लूप, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, परिचय, फ़ैराडे "नियम की विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित ईएमएफ, Lenz" नियम और म्युचुअल प्रेरण
20. Photoelectric प्रभाव, Photoelectron, Photoelectric उत्सर्जन के कानूनों, प्लैंक's, क्वांटम कानून, आईस्टीन's Photoelectric समीकरण, थ्रेसहोल्ड आवृत्ति, फोटो सेल, एक्स -रे: उत्पादन गुण और उपयोग करता है, लेजर: उठना, एक प्रेरित उत्सर्जन, जनसंख्या हास, पंप और सक्रिय

प्रणाली, उत्पादन, माणिक और अर्द्ध कंडक्टर लेजर की विधि का उपयोग करता है, फाइबर ऑप्टिक्स: सिद्धान्त, आवेदन और उपयोग करता है, इलेक्ट्रॉन अपने सिद्धान्त और निर्माण

(B) APPLIED PHYSICS

11. Fundamental units, Derived units, unit system, S.I. units – Their impotence & notation, Base, S.I. units system & Abbreviations, Principle of vernier calipers, screw gauge & Speedometer. Scalar & Vector quantities, Representation of Vectors, kinds of Vectors, addition & Subtraction of vectors, multiplication of a vector by a scalar, linear combination of vectors, Resolution of vector, position vector, scalar products & vector product.
12. 2.1 Classification of motion – Characteristic of different types of motion, Newton's laws of motion, Conservative & non-conservative force, speed & Velocity, Acceleration, equation of motion, concept of mass, weight & weightlessness, Friction, limiting friction, Angle of friction and coefficient of friction, Static & dynamic friction, Friction-a necessity and an evil. 2.2 Circular motion Motion of a particle on the circle with constant speed, Related Physical quantities, Relation between linear & angular velocities, centripetal & centrifugal forces, Banking of Road and bending of cyclist. 2.3 Rotatory motion Axis of motion, moment of inertia, Radius of gyration, Kinetic energy of rotation, derivation of equation of kinetic energy of a rotating body. Torque acting on a particle, angular momentum, relation between torque and angular acceleration. Newton's law of Gravitation, Basic forces in nature, Gravitational field, Potential, Relation between "g" & "G", factors influencing "g" escape velocity, kepler's Laws of planetary motion, satellites, Time period of satellites, simple pendulum.
13. Concept of elasticity, Deformation, Stress, Strain- its kinds and units, Hooke's law, elastic unit, elastic fatigue, Modulus of elasticity's, Young's Modulus and its determination by Searl's method. Molecular forces, cohesive and adhesive forces, surface tension & surface energy, Reason for spherical shape of Rain Drops, Angle of contact, pressure difference a liquid surface excess pressure inside a liquid drop & soap bubble, shape of liquid surface In a capillary tube, Rise of liquids in a capillary tube, Determination of surface tension by capillary rise method. „Effect of temperature on surface tension, examples of surface tension. 9 Concept of viscosity & coefficient of viscosity, streamline and Turbulent flow, Reynolds number, Poiseuille's equation for the flow of liquid through a tube, Stokes' law & Terminal velocity, Determination of "n" by falling sphere method.
14. Necessary conditions for the appearance & pursuance of periodic motion, classification of periodic motion based on forces acting on the source, necessary condition for the motion to be simple harmonic, characteristics of simple harmonic motion, Energy of a particle executing simple harmonic motion, Types of wave motion, equation of a plane progressive wave, Particle velocity & wave velocity. Ultrasonic waves, production of Ultrasonic waves, applications of Ultrasonic waves.
15. Principle of Resistance Thermometer, Platinum resistance Thermometer, See back Effect and Thermoelectric Thermometer, Thermocouple, Temperature of inversion and neutral temperature, Relate Thermos e.m.f. with temperature, Optical pyrometer, Comparative study for range and accuracy of above Thermometers. Concepts of a perfect gas, Postulates of kinetic Theory of gases, Pressure exerted by a perfect gas (no derivation of formula) Kinetic interpretation of temperature and Absolute Zero, deduction of gas laws.
16. First law of Thermodynamics, Mechanical equivalent of heat, specific heat of gases, Relation $C_p - C_v = R/J$, Isothermal &

- Adiabatic changes, concept of Latent heat of fusion of ice and vaporization of water.
17. Laws of reflection at plane & spherical surface. Definition of center of curvature, radius of curvature, principle axis, principal focus and focal length. engineering application of laws of reflection. Refraction at a plane surface, laws of refraction, Absolute and relative refractive index, critical angle and total internal reflection of light, refraction through lens (no 10 derivation of formula), Magnification combination of Lenses and power of lens. Refraction through prism, angle of minimum deviation and their relation. Dispersion and Dispersive power, pure and impure spectrum, Electromagnetic spectrum and its visible range.
 18. Simple microscope, compound microscope, Astronomical telescope, Terrestrial telescope, Kaleidoscope. Electric Charge, Coulomb's Law, Electric Field & Potential, Potential Difference Between Two Points, Equipotential Surfaces, dielectric Strength, Capacity, Units, Principle of Capacitor, Factors Affecting Capacity, Type of Capacitors.
 19. Magnetic lines of force, lines of induction, Magnetic induction, magnetic field around a current carrying conductor, direction of magnetic field and current, magnetic field due to a circular loop, Biot Savarts law field due to a long linear conductor, force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field, definition of unit current, force between two long parallel conductors. Magnetic materials, molecular theory & magnetism, Di. Para and ferromagnetic substances. Fleming's Right hand & Left Hand Thumb Rule, Maxwell's Screw Rule, Hysterisis Loop, Electromagnetic Induction, Introduction, faraday's law of Electromagnetic Induction, Induced E.M.F., Lenz's law, Self & Mutual Induction.
 20. Photoelectric effect: Photoelectron, laws of photoelectric emission, Planck's quantum law, Einstein's photoelectric equation, Threshold frequency, Photo cell. X-rays : production properties & uses. Laser : Spontaneous an stimulated emission, population inversion, pumping and active system, method of production, ruby and semi conductor laser, uses. Fiber optics: Principle, application & uses. Electron microscope its principle & construction .

(C) APPLIED CHEMISTRY

21. परमाणुओं की संरचना इलेक्ट्रॉनिकी, डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, रदरफोर्ड, मॉडल और बोर, बोर के वितरण के Burry योजना इलेक्ट्रॉनों, दोहरी मामले की प्रकृति और विकिरण, डी Broglie के समीकरण, Heisenber अनिश्चितता सिद्धान्त, क्वांटम संख्या, उप ऊर्जा स्तर और उप गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा परमाणुओं, Auffbaus नियम पाउली का अपवर्जन सिद्धान्त, अधिकतम की Hund के नियम बहुलता, परमाणु रे, जांच की विधि, गुण, रेडियों के विघटन के सिद्धान्त, गतिविधि परमाणु प्रतिक्रियाओं, मास दोष और बाध्यकारी ऊर्जा, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन परिचय, आधुनिक आवर्त कानून, एस, पी, डी एंड तक में तत्वों का वर्गीकरण एफ ब्लॉक तत्वों आवधिक गुणों की तत्वों, आवधिकता परमाणु और आयनिक त्रिज्या, ionization क्षमता, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, वैद्युतीय ऋणात्मकता, रासायनिक संबंध का सिद्धान्त, प्रकार की बांड, आयनिक या वैद्युत संयोजक बांड, सहसंयोजक बंधन, समन्वय बंधन, गूज के हाइड्रोजन संबंध अवधारणा
22. इलेक्ट्रोलाइट्स और कंडक्टर, मजबूत और कमजोर इलेक्ट्रोलाइट चालकता Arrhinius इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धान्त, Kohlrausch कानून, Ostwald कमजोर पड़ने कानून, परिवहन नहीं, इलेक्ट्रोलीज की फेराडे का कानून, 14 विद्युत समकक्ष, परिभाषा, पीएच, सामूहिक कार्रवाई के कानून, बफर समाधान, एक बफर के पीएचडी मूल्य की गणना, समाधान, एसिड बेस संकल्पना, कोलाइडन समाधान के प्रकार, तैयारी कोलाइडन

24. की कोलाइड, गुणों की कोलाइडन पर परिवर्तन का समाधान, उत्पत्ति कणों की जमावट की संभावना, कोलाइडन समाधान, सुरक्षा कोलाइड और गोल्ड संख्या, emulsions सफाई कार्रवाई, साबुन, डिटर्जेंट, जैल घटना के निष्कर्षण, गुण और इंजीनियरिंग के साथ भारी धातुओं का उपयोग करता है, to Cu, Fe, Zn, Al, Si, के विशेष संदर्भ Ge, C विद्युत चुंबकीय गुण, Fe, Ni, Co, Cr
25. गुण, संविधान और अभियांत्रिकी, पीतल की तरण आम मिश्र का उपयोग करता है, कांस्य, जर्मन सिल्वर, Duralumin, मिलाप, स्टेनलेस स्टील के दबाव और मरने, मिश्र धातु कार्स्टिंग मिश्र असर, धातुओं की जंग, जंग के प्रकार, बिजली उत्पन्न करनेवाली सीरीज, जंग नियंत्रण, सुरक्षात्मक कोटिंग्स, कोटिंग प्रक्रियाओं, विद्युत आवरण पर विशेष जोर देने के साथ और इलेक्ट्रो टाइपिंग
26. पॉलिमर के भौतिक गुण, संक्षेपण और इसके अलावा, polymerization Copolymers के प्रभाव, संपत्तियों पर बहुलक की संरचना, पॉलिमर के वर्गीकरण, रबर, Vulcanization और समझौता, reclaimed रबर, Bunas SBR नवीनीकरण, Plyurethanes silicons, फाइबर नायलॉन Dacron, Orlon, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक और रेजिन, thermoplastics और Thermosetting रेजिन, थर्मोकोल और कांच ग्लास उल एडीसीव
27. ईंधन का वर्गीकरण, ठोस ईंधन, तरल, एक के ईंधन, गैस ईंधन, विशेषताओं, अच्छा ईंधन, कैलोरी मान, निर्धारण, वम कैलोरीमीटर द्वारा कैलोरी मान का, विस्फोटकों से वर्गीकरण और अनुप्रयोग
28. स्नेहक अर्थ प्रकार, सिद्धांत की, एक अच्छा के स्नेहन, गुण, पर विशेष जोर देने के साथ स्नेहक, प्लैश, आग बिंदु, रंग और बादल डालना, बिंदु, विशिष्टता संख्या और चिपचिपाहट, पेंट्स और वार्निश-घटक, गुण और उपयोग करता है
29. पानी की कठोरता, प्रकार और इकाइयों, पानी की कठोरता के दृढ़ संकल्प से E.D.T.A. विधि और हे Hehners विधि, हार्ड पानी की नरमी, नींबू सोडा, प्रक्रिया और Permutit प्रक्रिया
30. प्रदूषण-प्रदूषण का अर्थ है, कारण बनता है, वायु प्रदूषण, प्रदूषण, कारणों की ओजोन परत के प्रभाव की कमी, आजोन परत रिक्तीकरण, अम्ल वर्षा, जल, जल प्रदूषण के प्रदूषण, सूत्रों का कहना है, बीओडी, सीओडी, मृदा प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रभाव और प्रदूषण की रोकथाम के उपायों

(C) APPLIED CHEMISTRY

21. Electronic structure of atoms, Discovery of electrons, protons and neutrons. Rutherford, model and Bohr's, Bohr's - Burry scheme of distributions of electrons. Dual nature of matter and Radiations, De-Broglie's Equation, Heisenber's uncertainty principle, quantum numbers, sub energy level and distribution of electrons in sub-shells and concept of Electronic configuration of atoms, Auffbaus's rule, Pauli's exclusion principle. Hund's rule of maximum multiplicity. Nuclear rays, method of Detection, properties, disintegration theory of radio activity Nuclear reactions, Mass defect and Binding energy, Nuclear Fission, Nuclear Fusion
22. Introduction, modern Periodic law classification of elements In to s-, p, d & f- block elements Periodic properties of elements, Periodicity atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity, Electronegativity. Theory of Chemical Bonding, Types of Bonds, Ionic or electrovalent bonds, Covalent bond, coordination bond, Hydrogen bonding concept of resonance.
23. Electrolytes and conductors, strong and weak electrolyte, conductivity, Arrhinius theory of electrolysis, Kohlrausch law, Ostwald dilution laws, Transport no. Faraday's Law of Electrolysis Electrochemical equivalent, Definition of 14pH, Law of mass action, Buffer solutions, calculation of Ph. Value of a Buffer solution, Acid Base Concept. Types of colloidal solution, preparation of colloids, properties of colloidal solutions, Origin of change on colloidal particles, prescription of Coagulation

क्रमशः

of colloidal solution. Protective colloids and Gold number, Emulsions cleansing action of soaps, Detergents, Gels.

24. Occurrence, extraction, properties and engineering uses of heavy metals with special reference to Cu, Fe, Zn, Al, Si, Ge, C Electro magnetic properties of Fe, Ni, Co, Cr.
25. Properties, constitution and Engineering uses of common alloys like Brass, Bronze, German Silver, Duralumin, Solder, stainless steel pressure and die casting alloy, Bearing alloys. Corrosion of metals, Types of corrosion, Galvanic Series, corrosion control, protective coatings. Coating processes with special emphasis on electroplating and electro typing .
26. Physical properties of the polymers condensation and addition polymerization. Copolymers, effect of structure of polymer on properties, classification of polymers, Rubber –Vulcanization and compounding reclaimed rubber, Buna SBR Neoprene .Polyurethanes silicons, Fibers- Nylon, Dacron, orlon, polyester, Plastics and Resins – Thermoplastics and Thermosetting resins, Thermo cole and glass wool. Adhesives
27. Classification of fuels, solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels, characteristics of a good fuel, calorific value, Determination of calorific value by Bomb calorimeter, Explosives- classification and application.
28. Lubricant- meaning types, theory of lubrication, properties of a good lubricants with special emphasis on Flash, Fire point, pour point and cloud point. Specification number and viscosity, Paints and Varnish – Constituents, properties and uses.
29. Water hardness, types and units, Determination of hardness of water by E.D.T.A. method and O Hehners method. Softening of hard water , lime soda process and Permutit process.
30. Pollution – meaning, causes of Pollution, air pollution, pollutants, causes of depletion of ozone layer, influence of ozone layer depletion. Acid rain, Water pollution, sources of Water pollution BOD, COD, Soil pollution, Green house effect, Radioactive Pollution, Effects and preventive measures of pollution.

(D) ENGINEERING DRAWING

31. अध्याय-1: परिचय
ड्राइंग उपकरणों, उपकरणों और उनके उपयोग के लिए परिचय, आई. एस. अनुसार ड्राइंग शीट की योजना 1972-696, बाहर बिछाने और ड्राइंग की तह में भारतीय मानक प्रथाओं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल लाइनों के विभिन्न प्रकार (अभ्यास होने के लिए ही झटके ऊर्ध्वधर और झुका पूंजी और कम मामलों पत्र लिखने के लिए मानक अभ्यास, स्केच पुस्तक पर किया), लेखन अंकों के मानक अभ्यास (अभ्यास स्केच पुस्तक पर किया जा सकता है)
32. अध्याय 2: Dimensioning तकनीक और मानक सम्मेलनों, पहचान और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैठक में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीकों का प्रतिनिधित्व, इमारत तत्वों, सामग्री और स्वच्छता के विभिन्न प्रतीकों की पहचान और प्रतिनिधित्व आरेखण, फिटिंग, सिद्धान्तों, प्रणाली और Dimensioning की व्यवस्था, Dimensioning की वर्तमान पद्धति का अभ्यास समस्याओं
33. अध्याय 3: इंजीनियरिंग वक्र एवं पैमाना, इंजीनियरिंग वक्र से जुड़ा फार्म ,इंजीनियरिंग वक्र के प्रकार, इंजीनियरिंग वक्र के निर्माण की विधि, विभिन्न इंजीनियरिंग वक्र ड्राइंग का अभ्यास समस्याओं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़े पैमाने का महत्व, पैमाना, प्लेन, विकर्ण आदि के प्रकार, पैमाने के विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए व्यवहारिक समस्याएँ।
34. अध्याय 4: अंक, लाइनों और विमानों के लिखने का प्रक्षेपण, लिखने के अनुमानों के साथ जुड़े विभिन्न शब्दों की परिभाषा, अनुमानों के विमानों, Quadrants की संकल्पना, प्रक्षेपण के पहले और तीसरे कोण विधि, हिमाचल प्रदेश के लिए सम्मान के साथ अलग अलग स्थितियों में लाइन का प्रक्षेपण वी.पी. और एक्स वाई लाइन, संदर्भ विमानों के

संबंध में अलग स्थिति में विमानों की प्रोजेक्शन, अंक, लाइनों और विमानों के प्रक्षेपण पर समस्याओं का अभ्यास करें

35. अध्याय 5: सरल मशीन भागों और घटकों के अनुमानों, ड्राइंग अनुमानों और सरल मशीन उपकरणों के अनुभागीय दृश्य के लिए प्रक्रिया, सरल मशीन उपकरणों के अनुमानों और वर्गों चित्र और ड्राइंग की समस्याओं का अभ्यास करें
36. अध्याय 6: टोस का अनुमान, टोस के प्रकार और जुड़े शब्दावली, संदर्भ विमानों के संबंध में टोस की स्थिति, संदर्भ विमानों के संबंध में अलग स्थिति में टोस के अनुमानों आरेखण, अलग अलग स्थितियों में टोस के अनुमानों आकर्षित करने के लिए समस्याओं का अभ्यास करें,
37. अध्याय 7: टोस की धारा, विमानों सेक्शनिंग की संकल्पना, सहायक विमानों और अनुभाग का असली आकार, अनुमानों और टोस के खंड ड्राइंग के लिए समस्याओं का अभ्यास करें
38. अध्याय-8: सतहों का विकास, इंजीनियरिंग क्षेत्र में संकल्पना और सतह विकास का महत्व निम्नलिखित के लिए सतहों का विकास – घन, सिलेंडर, चरम, कोन और frustum शंकु, समस्याओं का अभ्यास करें
39. अध्याय-9: Isometric अनुमानों, लिखने के अनुमानों की सीमाएं, शॉर्ट axonometric, तिरछा, isometric और पूरा पूरा अनुमानों की परिभाषाएं, Isometric परीक्षा तैयार करने के लिए प्रक्रिया, ज्यामितीय टोस और सरल मशीन भागों की isometric देखें, समस्याओं का अभ्यास करें
40. अध्याय-10: सीएडी की मूल बातें, सीएडी के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आवश्यकता, समन्वय प्रणालियों, एक सीएडी ड्राइंग के लिए स्थापित, जैसे रेखा आदि, सकिल, आर्क, अंडाकार, नियमित बहुभुज, Polylines, डोनटस वस्तुओं आरेखण, संपादनकमांड्स तरह मूव कॉपी, घुमाना, पैमाना, पट्टिका, गड्ढ, ट्रिम, ऐरे, मिरर आदि बढ़ाएं, बेसिक dimensioning, ज्यामितीय dimensioning और सहिष्णुता, इस्तेमाल की सीएडी सरल लिखने और Isometric चित्र के लिए आदेश

(D) ENGINEERING DRAWING

31. Chapter –1: Introduction Introduction to drawing equipments, instruments and their uses Planning of drawing sheet as per I.S. 696 – 1972 Indian standard practices of laying out and folding of drawing Different types of lines used in engineering drawing Standard practice for writing single stroke vertical and inclined capital and lower cases letters (practice to be done on sketch book) Standard practice of writing numerals (practice to be done on sketch book)
32. Chapter –2: Dimensioning techniques and standard conventions Identification and representation of various symbols used in Mechanical and Electrical Drawing Drawing Identification and representation of various symbols of building elements, materials and sanitary fittings Principles, system and arrangement of dimensioning Practice problems of current method of dimensioning
33. Chapter –3: Engineering curves and scales Form associated with engineering curves Types of engineering curves Method of construction of Engineering Curves Practice problems of drawing various Engineering Curves. Importance of scale in Engineering drawing Types of scales- plain, diagonal etc. Practical problems for constructing various types of scale.
34. Chapter –4: Orthographic projection of points, lines and planes Definitions of various terms associated with orthographic projections. Planes of projections Concept of Quadrants First and third angle method of projection Projection of line in different positions with respects to H.P. V.P. and X-Y line Projection of planes in different position with respect to reference planes Practice problems on projection of points, lines and planes.
35. Chapter –5: Projections of simple machine parts and components Procedure for drawing projections and sectional views of simple

क्रमशः

machine components Practice problems of sketching and drawing the projections and sections of simple machine components.

36. Chapter –6: Projections of solids Types of solids and associated terminology Position of solid with respect to reference planes Drawing projections of solid in different position with respect to reference planes Practice problems to draw projections of solid in different positions.
37. Chapter –7: Section of solids Concept of sectioning planes Auxiliary planes and true shape of section Practice problems for drawing projections and section of solids.
38. Chapter –8: Development of surfaces Concept and importance of surface development in engineering field Development of surfaces for the following - •Cube •Cylinder •Prism •Cone and Frustum cone Practice problems.
39. Chapter –9: Isometric projections Limitations of orthographic projections Definitions of the terms axonometric, oblique, Isometric and diametric projections Procedure for preparing isometric oblique Isometric view of geometrical solids and simple machine parts Practice problems.
40. Chapter –10: Basics of CAD Computer hardware and software requirement for CAD Co-ordinate systems Set up for a CAD

drawing Drawing objects like- Line, Circle, Arc, Ellipse, Regular Polygons, Polylines, Donuts etc. Editing Commands like- Move, Copy, Rotate, Scale, Fillet, Chamfer, Trim, Extend, Array, Mirror etc. Basic dimensioning, geometric dimensioning and tolerance Use CAD commands for simple orthographic and isometric drawings

III

**परिशिष्ट-तीन,
“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”**

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
 - (2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
 - (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
 - (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम
- (6). साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।
 - (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
 - (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
 - (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
 - (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
 - (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
 - (12). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
 - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/- + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
 - (iii) प्रवर सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

- (iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किराी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेट बैंकिंग/केश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□